Email id -
seeudc1gzb@gmail.com
CUG Mob.-9193320111
CIN:U31200UP2003SGC027458

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
ए–ब्लॉक, हाईडिल कॉलोनी, कविनगर,
गाजियाबाद।

पत्रांक 3330/ वि0न0वि0म0–प्रथम / गा0बाद   दिनांक 22-03-2024

विषयः–विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु आदेश।

सेवा में,

विज्ञापन व्यवस्थापक
वीर अर्जुन, नई दिल्ली।

विज्ञापन व्यवस्थापक
विराट वैभव, गाजियाबाद।

महोदय,

आपके प्रतिष्ठित दैनिक / साप्ताहिक समाचार पत्र के एक अंक में आपके यह उपलब्ध छोटे से छोटे टाइप और कम से कम स्थान में दो कॉलम साइज में दिनॉंक **23.03.2024** तक को प्रकाशनार्थ संलग्न विज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। हैडिंग व नीचे के नाम व पते में भी बड़ा टाइप न लगायें तथा नाम व पता एक ही लाइन में छापें। विज्ञापन में शीर्ष पर पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि0 का मोनोग्राम एंव सबसे नीचे इस आदेश की संख्या व दिनॉक भी छोटे से छोटे टाईप में अवश्य प्रकाशित करें। इस निर्देशों के विपरीत छपे विज्ञापनों के बीजकों में आवश्यक कटौती करने के लिए पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि0 बाध्य होगा।

1. स्थानीय प्रकृति की सूचना जैसे–बिजली बंद रहने की सूचना, उपभोक्ता शिविर लगने की सूचना, बिजली बिलों के सम्बन्ध में सूचना आदि का प्रकाशन यथा सम्भव समाचार पत्र के स्थानीय पृष्ठ पर तथा ई–निविदा सूचनाओं का प्रकाशन ई–निविदा हेतू निर्धारित पृष्ठ पर करने की व्ययवस्था सुनिश्चित करें।
2. प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतू प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ विज्ञापन शुल्क की बीजक तीन प्रतियों मे अग्रिम भुगतान प्राप्ति रसीदी टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की सम्पूर्ण वाउचर प्रतियां संलग्न करते हुए भुगतान हेतू प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विक्टोरिया पार्क, मेरठ को प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन भुगतान सम्भव न होगा।
3. संलग्न हिन्दी / अंग्रेजी विज्ञापन का प्रकाशन हिन्दी भाषा में 8–10 प्वाइंट टाईप में एक ही कॉलम में किया जाये। अंग्रेजी भाषा सामग्री का प्रकाशन हिन्दी भाषा में अनुवाद के पश्चात ही करें जिसके लिए समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नही होगा।
4. विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्वतः एक सप्ताह के अन्दर विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाये अन्यथा सम्बधित बीजक का सत्यापन भुगतान नही किया जायेगा।
5. टेन्डर / सूचना इत्यादि यदि आपको सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापन देय स्वीकृत न हो तो कृपया विज्ञापन प्रकाशित न करें। अधोहस्ताक्षरकर्ता को अविलम्व इस आशय से सूचना देने का कष्ट करें।

विज्ञापन के अन्त में सबसे नीचे छोटे टाईप में "राष्ट्र हित में बिजली बचायें " का नारा तथा विद्युत चोरी का हेल्प लाइन नम्बर अवश्य दें।

संलग्नकः–विज्ञापन सामग्री

भवदीय

(महफूज आलम)
अधीक्षण अभियन्ता
Superintending Engineer
Electricity Urban Distribution Circle-I
Ghaziabad

पत्रांक : 3330/ वि0न0वि0मण्डल–प्रथम / गा0बाद   दिनांकः– 22-03-2024

प्रतिलिपि निम्न को विज्ञापन सामग्री सहित सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निविदा को निगम की वेबसाईट पर डलवाने की कृपा करें।
2. मुख्य अभियन्ता(वि0),गाजियाबाद क्षेत्र–प्रथम, गाजियाबाद।
3. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ। (ई–मेलः–propvvnlmrt@gmail.com)
4. सम्बन्धित निविदा पत्रावली।

(महफूज आलम)
अधीक्षण अभियन्ता
Superintending Engineer
Electricity Urban Distribution Circle-I
Ghaziabad

पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि0

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

ई–निविदा संख्याः–**94/2023-24/EUDC-1GZB** धरोहर राशि रू0–60,000 वि0न0वि0ख0–प्रथम, तृतीय, पंचम एवं नवम, गा0बाद में एच0टी0 ब्रेकडाउन, टेढे पोल, क्षतिग्रस्त केबिल बदलने हेतु 24×7 एक गैंग उपलब्ध कराने हेतु कार्य। **95/2023-24/EUDC-1GZB** धरोहर राशि रू0–50,000 वि0न0वि0ख0–प्रथम, तृतीय, पंचम एवं नवम, गा0बाद में 33केवी0 एवं 11केवी0 के फाल्ट ठीक करने सम्बन्धी कार्य। ये निविदायें दिनांक 06.04.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक भरी जा सकती है एवं उसी दिन 17:00 बजे व उसके पश्चात खोली जायेंगी। अर्हता सम्बन्धी विस्तृत सूचना, तिथि, धरोहर राशि, संशोधन/विस्तार तिथि आदि **https://etender.up.nic.in** एवं निगम की वेबसाईट **www.pvvnl.org** पर देखा जा सकता है।

अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम, गाजियाबाद

Superintending Engineer
Electricity Urban Distribution Circle-I
Ghaziabad

"राष्ट्रहित में बिजली बचायें"

हिमाचलः राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने वाले तीन निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दिया

वैभव न्यूज ■ शिमला

हिमाचल प्रदेश में हालिया राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने वाले तीन निर्दलीय विधायकों ने शुक्रवार को विधानसभा सचिव को अपना इस्तीफा सौंप दिया। निर्दलीय विधायकों में से एक ने संवाददाताओं से कहा कि वे भाजपा में शामिल होंगे और पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तीन निर्दलीय विधायकों आशीष शर्मा (हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र), होशियार सिंह (देहरा) और के एल ठाकुर (नालागढ़) ने शुक्रवार को शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से मुलाकात की और उसके बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया।

होशियार सिंह ने संवाददाताओं से कहा, हमने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हम भाजपा में शामिल होंगे और पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तीनों निर्दलीय विधायकों ने 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा से टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया और उन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा। हालांकि, बाद में जब कांग्रेस ने 40 विधायकों के साथ सरकार बनाई तो तीन निर्दलीयों ने सरकार का समर्थन किया था। निर्दलीय विधायकों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधायकों और उनके परिवारों को निशाना बना रहे हैं और उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने का आदेश दे रहे हैं।

पिछले महीने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के छह बागी विधायकों के साथ तीन निर्दलीय विधायकों ने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था। कटौती प्रस्ताव और बजट के दौरान सदन में उपस्थित रहने और सत्तारूढ़ कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के व्हिप का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस के बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। निर्वाचन आयोग ने एक जून को अंतिम चरण में चार लोकसभा सीटों के साथ-साथ कांग्रेस विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने के बाद रिक्त हुई छह विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की थी।

होशियार सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपने गए थे लेकिन वह उपलब्ध नहीं थे। सिंह ने कहा कि इसके बाद उन्होंने विधानसभा सचिव को अपना त्यागपत्र सौंप दिया और बाद में राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल से मुलाकात कर उन्हें घटनाक्रम से अवगत कराया। सिंह ने कहा, हमारी अंतरात्मा ने राज्यसभा चुनाव में किसी बाहरी व्यक्ति- कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी- को वोट देने की इजाजत नहीं दी और अपनी इच्छा के अनुसार वोट करना हमारा अधिकार है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव के बाद राज्य सरकार ने प्रतिशोध की राजनीति शुरू कर दी है। सिंह ने कहा, इन परिस्थितियों में, हमने इस्तीफा देने का फैसला किया है। हम भाजपा में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और देश के साथ-साथ राज्य को भी मजबूत करेंगे। के एल ठाकुर ने दावा किया कि कांग्रेस शासन के तहत पिछले 14 महीनों में विकास रुक गया और हम लोगों के लिए काम करने में असमर्थ थे। ऐसे में विधायक बने रहने का कोई मतलब नहीं था।

इस बीच, मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि निर्दलीय विधायकों को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था और जनादेश का सम्मान करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है कि पूरे प्रकरण में पैसा शामिल था या विधायकों पर दबाव डाला गया। मुख्यमंत्री ने कहा, (उन्होंने) कुछ गलत किया होगा, तभी इस्तीफा दिया है। छह कांग्रेस विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने के साथ, 68 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 40 से घटकर 34 रह गई है। सदन में भाजपा के 25 सदस्य हैं।

अरुणाचल पश्चिम लोकसभा सीट पर रीजीजू को चुनौती देने के लिए तैयार हैं नबाम तुकी

ईटानगर। कांग्रेस की अरुणाचल प्रदेश इकाई के प्रमुख नबाम तुकी अरुणाचल पश्चिम लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू को चुनौती देंगे। राज्य में 19 अप्रैल को पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री तुकी अभी पापुमपारे जिले में सागली निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं तथा वह लगातार छह बार से निर्वाचित होते रहे हैं। कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को तुकी के साथ ही अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बोसीराम सिराम की उम्मीदवारी की घोषणा की। सिराम भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशी तापिर गाओ के खिलाफ अरुणाचल पूर्व संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे। साल 2019 में रीजीजू से अरुणाचल पश्चिम सीट पर हारने वाले तुकी ने मतदाताओं के बीच बदलाव की बढ़ती इच्छा का हवाला देते हुए इस बार जीत का विश्वास जताया है। उन्होंने कहा, लोग बदलाव चाहते हैं और रीजीजू के लिए जनता का नजरिया बदल रहा है।

लोकसभा चुनावः उत्तराखंड में त्रिवेंद्र रावत, अजय टम्टा ने नामांकन दाखिल किया

वैभव न्यूज ■

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और मौजूदा सांसद अजय टम्टा ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के लिए क्रमश: हरिद्वार और अल्मोड़ा निर्वाचन क्षेत्रों से भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। रावत ने हरिद्वार से मौजूदा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, पार्टी विधायकों और सैकड़ों समर्थकों की उपस्थिति में अपना नामांकन डिजिटल तौर पर दाखिल किया।

उन्होंने अपना नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद एक फेसबुक पोस्ट में कहा, यह मेरे राजनीतिक जीवन में एक नई यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। डोईवाला से विधायक बनने से लेकर आज तीर्थनगरी से लोकसभा उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने तक, यह मेरे लिए एक भावनात्मक यात्रा रही है। उन्होंने कहा, मैं हरिद्वार निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि वे हर सुख-दुख में मुझे हमेशा अपने साथ खड़ा पाएंगे। विकास की लहर रुकने वाली नहीं है।

टम्टा ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और डीडीहाट से विधायक बिशन सिंह चुफाल की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में एक सभा को संबोधित किया और लोगों से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की। धामी ने कहा, वह (टम्टा) अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की सेवा के लिए लगातार काम करते रहे हैं। टम्टा ने 2014 और 2019 में लगातार दो बार अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की। इस बार उनका मुकाबला एक बार फिर अपने पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के प्रदीप टम्टा से होगा, जिन्हें उन्होंने पिछले दो लोकसभा चुनावों में हराया था। कांग्रेस ने अभी हरिद्वार से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा।

अगली सूचना तक आईटीओ मेट्रो स्टेशन बंद रहेगाः डीएमआरसी

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने शुक्रवार को घोषणा की कि आईटीओ मेट्रो स्टेशन अगली सूचना तक बंद रहेगा। इससे पहले दिन में डीएमआरसी ने आईटीओ मेट्रो स्टेशन को सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक बंद रखने की घोषणा की थी।

डीएमआरसी ने आम आदमी पार्टी (आप) के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन को बंद करने की भी घोषणा की। लोक कल्याण मार्ग पर ही प्रधानमंत्री का आवास स्थित है। पुलिस के निर्देश के बाद डीएमआरसी ने इन स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की।

डीएमआरसी ने एक्स पर पोस्ट किया, दिल्ली पुलिस की सलाह पर अगली सूचना तक आईटीओ मेट्रो स्टेशन के अलावा लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा।

राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक आयोजित

वैभव न्यूज ■ देहरादून

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में आज समीक्षा बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2023 24 में SASCI 2023 24 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यों के सापेक्ष संबंधित विभागों द्वारा धनराशि अवमुक्त कराए जाने व उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किए जाने की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया।

बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2023- 24 के अंतर्गत नाबार्ड पोषित योजनाओं के अंतर्गत विभागों हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष नए कार्यों की स्वीकृति व प्रतिपूर्ति लक्ष्यों के सापेक्ष नाबार्ड से धनराशि और अवमुक्त/ प्रतिपूर्ति कराए जाने की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य सचिव द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि भारत सरकार से जो धनराशि प्राप्त हुई है, उसका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित करें एवं continuing schemes के utilisation certificates 27 मार्च तक वित्त विभाग को अवश्य भेज दिए जाएं।

एनएचआरसी ने संगरूर में नकली शराब से हुई मौत पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया

एजेंसी ■ नई दिल्ली

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संगरूर जिले में नकली शराब पीने से हुई पांच लोगों की कथित मौत को लेकर शुक्रवार को पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया। आयोग ने पंजाब सरकार से इस घटना के सिलसिले में चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। उसके एक बयान में कहा गया है, एनएचआरसी ने मीडिया की इस खबर का स्वतः संज्ञान लिया है कि पंजाब में संगरूर जिले के गुज्जरान गांव में 19-20 मार्च की दरम्यानी रात को नकली शराब पीने के बाद पांच लोगों की मौत हो गई। खबर है कि अन्य पांच लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसने कहा है कि यदि यह खबर सही है तो यह हताहतों के मानवाधिकार के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। आयोग ने कहा, जाहिर तौर पर, यह घटना नकली शराब की बिक्री एवं सेवन के रोकथाम में स्थानीय प्रशासन एवं राज्य सरकार की लापरवाही दर्शाती है। ऐसे में, पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर उनसे इस मामले में अधिकतम चार सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। उसने कहा, रिपोर्ट में पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी की स्थिति, बीमार लोगों के उपचार, पीड़ित परिवारों को क्षतिपूर्ति (यदि कोई दी गई है तो) का जिक्र होना चाहिए।

मालेगांव विस्फोट मामले में प्रज्ञा ठाकुर अदालत में हुईं पेश, जमानती वारंट रद्द

एजेंसी ■ मुंबई

विशेष अदालत ने भोपाल से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की शुक्रवार को पेशी के बाद उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट रद्द कर दिया। अदालत ने बार-बार चेतावनी के बावजूद पेश होने में विफल रहने पर 11 मार्च को ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। ठाकुर सितंबर 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में आरोपी हैं। विशेष न्यायाधीश ए के लाहोटी ने उस समय ठाकुर को 20 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया था। हालांकि ठाकुर निजी अस्पताल में भर्ती होने का दावा करते हुए पेश नहीं हुई थीं। अदालत ने 20 मार्च को अस्पताल से छुट्टी मिलने तक वारंट की तामील पर रोक लगा दी। ठाकुर शुक्रवार को विशेष अदालत में पेश हुईं और अपने वकील के माध्यम से जमानती वारंट रद्द करने के लिए अर्जी दाखिल की। अदालत ने उनके चिकित्सकीय कागजात पर गौर करते हुए वारंट रद्द कर दिया। ठाकुर ने अपनी अर्जी में दावा किया कि वह बैठने, चलने और हस्ताक्षर करने में भी असमर्थ हैं। अदालत ने कहा कि उसे उनके दावों में दम नजर आता है क्योंकि वह किसी की मदद से अदालत में पेश हुई हैं। अदालत ने ठाकुर को उनके खिलाफ मुकदमे में अपना अंतिम बयान दर्ज कराने के लिए 28 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया। ठाकुर और छह अन्य इस मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत मुकदमे का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) अदालत वर्तमान में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है।

ट्रांस रोजगार मेला में 227 से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया, भर्ती में 100 प्र. वृद्धि का अनुमान

वैभव न्यूज ■

ट्रांस रोजगार मेला 2024 के दूसरे संस्करण में उल्लेखनीय सफलता मिली, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के 227 से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया। 2024 में अपने उद्घाटन संस्करण की तुलना में भर्ती में 100 प्रतिशत की वृद्धि होने वाली है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस के सहयोग से ट्वीट फाउंडेशन और इनअभ्यासी द्वारा आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 22 मार्च, 2024 को नई दिल्ली में [illegible] द्वारा द [illegible] होटल में आयोजित किया गया था।

अंकित श्रीवास्तव, अवर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, डॉ. आर. गिरिराज, उप निदेशक (टी एड बी), राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान और आचार्य महामंडलेश्वर डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को सम्मानित किया और उद्घाटन का संचालन किया। पॉलिसिस सैपिएंट ने लगातार दूसरी बार प्लेटिनम प्रायोजक के रूप में गर्व से काम किया। कार्यक्रम के दौरान, ट्वीट फाउंडेशन ने ट्वीट वेबसाइट और ट्रांस हेल्थ सेंटर का अनावरण किया, जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने के अपने मिशन में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। एनआईएसडी के उप निदेशक डॉ. आर. गिरिराज ने कहा, ट्रांस एम्प्लॉयमेंट मेला जैसे आयोजन उपयुक्त रोजगार के अवसरों की तलाश करने वाले कई व्यक्तियों को एक मंच प्रदान करते हैं।

निर्वाचन आयोग ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के नए फॉर्म भरने से फिलहाल रोका

वैभव न्यूज ■ शिमला

निर्वाचन आयोग ने भाजपा की एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को एक पत्र भेजकर आदर्श आचार संहिता लागू होने तक इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत नए फॉर्म भरने पर रोक लगाने को कहा है। चार मार्च को घोषित यह योजना 18 से 59 आयु वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपए की मासिक सहायता उपलब्ध कराती है। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादे को पूरा करते हुए चार मार्च को इस योजना की घोषणा की थी और कहा था कि इस योजना पर वार्षिक 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे पांच लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने 16 मार्च को कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण योजना के तहत नए लाभार्थियों को नहीं जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 1,500 रुपए प्रति माह पेंशन पाने के लिए फॉर्म नहीं भरा जा सकता क्योंकि इस पर मुख्यमंत्री की तस्वीर छपी है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मासिक सहायता योजना पर रोक लगाने की मांग करते हुए आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।

पश्चिम रेलवे – अहमदाबाद मंडल
निविदा सूचना सं. निविदा/2024/पश्चिम/04, दिनांक: 21-02-2024 के विरुद्ध शुद्धि पत्र-1

पश्चिम रेलवे – वडोदरा मंडल
पश्चिम रेलवे ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना

(1)	[illegible]	ERC [illegible]	[illegible]	[illegible]
(2)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(3)	[illegible]	AT [illegible]	[illegible]	[illegible]

www.indianrailways.gov.in
facebook.com/WesternRly

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो
शुद्धि – पत्र
ई–निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–RDD/SD/BOKARO/41/2023-24 जिसकी पी० आर० संख्या– 322424 है, को अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है।
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल
बोकारो
PR 323305 (Rural Development)23-24*D

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
अल्पकालीन ई-निविदा सूचना
ई-निविदा संख्या- 94/2023-24/EUDC-1GZB ... 2023-24/EUDC-1GZB ... दिनांक 22-03-2024

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-I, दिल्ली
टी.ए. नं. 2906/2022
पंजाब नेशनल बैंक
बनाम
रजनीश अग्रवाल एवं अन्य

उत्तर रेलवे
प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक कार्यालय
प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली 110001
Mail ID: salenr365@gmail.com
संख्या 117-एस/ [illegible] /2024-25 दिनांक 22.03.2024
नीलामी सूचना सं०–अप्रैल/2024
अप्रैल 2024 की ई–नीलामी

सं०	नीलामी करने वाला डिपो		समय	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	चतुर्थ चरण	पंचम चरण
1	आलमबाग/लखनऊ	0522-2451257	10.00	4	15	22	29	30
2	शकूरबस्ती	011-27015367	10.00	4	16	18	24	30
3	जगाधरी	01732-252368	10.00	5	15	22	28	30
4	वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक/लखनऊ	0522-2234756	10.00	5	15	22	26	30
5	वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक/फिरोजपुर	01632-244154	10.00	3	10	18	25	30
6	वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक/अंबाला	0171-2611203	10.00	4	15	16	24	30
7	वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक/मुरादाबाद	0591-2413141	10.00	5	15	18	25	30
8	वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक/दिल्ली	011-23365311	10.00	6	15	22	29	30

911/2024
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

केजरीवाल का मुख्यमंत्री बने रहना जनता का अपमान : भाजपा

नई दिल्ली, (वीअ)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को उस बयान के लिए आम आदमी पार्टी (आप) की आलोचना की, जिसमें उसने कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। पार्टी ने कहा कि यह जनता, कानून और लोकतंत्र का अपमान है।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूछा कि क्या केजरीवाल खुद को कानून से ऊपर मानते हैं जबकि भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने अन्य नेताओं पर इस मुद्दे पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और जोर दिया कि भ्रष्टाचार में शामिल लोग जेल जाएंगे। भाजपा ने मुख्यमंत्री केजरीवाल का समर्थन करने के लिए विपक्षी नेताओं का उपहास किया और उन्हें चोर-चोर मौसेरे भाई करार दिया। भाजपा के कई नेताओं ने केजरीवाल के ईमानदारी के दावे और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार सहित अन्य नेताओं के खिलाफ पूर्व में उनके द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को याद किया जब उन्होंने इन नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की थी। ठाकुर ने कहा कि उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नौ समन को नजरअंदाज किया और जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने पूछा, क्या उन्हें लगता है कि वह कानून से ऊपर हैं? ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री बने रहने का उनका निर्णय दिल्ली के लोगों, कानून और लोकतंत्र का अपमान है।

भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर

कहा कि गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री बने रहने का केजरीवाल का फैसला उन्हें ऐसा करने वाला पहला मुख्यमंत्री बनाता है। त्रिवेदी ने कहा कि वह लालू प्रसाद यादव से भी आगे निकल चुके हैं। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा चारा घोटाला मामलों में उन्हें गिरफ्तार करने के बाद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। भाजपा नेता ने कहा कि केजरीवाल का इस पद पर बने रहना लोकतंत्र के लिए गंभीर सवाल खड़ा करता है और ईमानदारी की आड़ में नई राजनीति शुरू करने के उनके दावे की पोल भी खोलता है। पात्रा ने आरोप लगाया, दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के उस मामले के एक सरगना हैं जिसकी जांच ईडी कर रही है। क्या उन्हें (केजरीवाल) केवल इसलिए छोड़ दिया जाना चाहिए कि वह मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी नहीं? कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के केजरीवाल के बचाव में एकजुट होने और उनकी गिरफ्तारी को उसके नेताओं पर केंद्र सरकार की कार्रवाई बताए जाने के बीच भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यह चोरों द्वारा भाईचारे निभाने का मामला है। पात्रा ने आरोप लगाया कि वह भ्रष्टाचारियों के नेता हैं और आप नेता इस मामले में झूठ का पुलिंदा फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत पर हैं। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह उनके बीच का बेल बॉन्ड है। उन्होंने कहा कि वे सभी एक साथ आ रहे हैं क्योंकि उनके जहाज डूब रहे हैं। राजनीतिक प्रतिशोध के आप नेताओं के आरोपों को खारिज करते हुए पात्रा ने सवाल किया कि क्या लोग अदालतों पर भरोसा करेंगे या आप के नेताओं पर विश्वास करेंगे?

बीजद से गठबंधन नहीं, सभी सीट पर अकेले लड़ेगी भाजपा

नई दिल्ली, (वीअ)। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राज्य में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) के बीच गठबंधन की संभावनाएं शुक्रवार को उस समय लगभग समाप्त हो गई, जब केंद्र की सत्ताधारी पार्टी ने आगामी लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों में सभी सीट पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की।

भाजपा की ओडिशा इकाई के अध्यक्ष मनमोहन सामल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 4.5 करोड़ ओडिशावासियों की आशा, अभिलाषा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में विकसित भारत तथा विकसित ओडिशा बनाने के लिए भाजपा इस बार लोकसभा की सभी 21 और विधानसभा की सभी 147 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि देश भर में जहां भी डबल इंजन की सरकार रही है, वहां विकास व गरीब कल्याण के कार्यों में तेजी आई है और राज्य हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा, लेकिन आज ओडिशा में मोदी सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं जमीन पर नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे ओडिशा के गरीब बहनों-भाइयों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा, ओडिशा-अस्मिता, ओडिशा गौरव और ओडिशा के लोगों के हित से जुड़े अनेक विषयों पर हमारी चिंताएं हैं। सामल ने बीजद की ओर से केंद्र सरकार के अनेक राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर समर्थन देने के लिए प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी के प्रति आभार व्यक्त किया।

राज्य की 21 लोकसभा सीट और 147 सदस्यीय विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव से पहले राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के बीच गठबंधन को लेकर कई हफ्तों से अटकलें लगाई जा रही थी।

इन अटकलों को उस समय और बल मिला था, जब ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबी माने जाने वाले वी.के. पांडियन ने कहा था कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा और बीजद को एक-दूसरे की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें राजनीति से परे होती हैं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बड़े मकसद के लिए एक साथ आना चाहते हैं।

भाजपा को सत्ता के दुरुपयोग की कीमत चुकानी पड़ेगी: पवार

पुणे, (भाषा)। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (राकांपा-एसपी) के प्रमुख शरद पवार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने की शुक्रवार को निंदा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को शक्ति के दुरुपयोग की कीमत चुकानी पड़ेगी।

पवार ने महाराष्ट्र में पुणे जिले के बारामती में संवाददाताओं से कहा कि उन्हें विश्वास है कि लोग चुनाव में उसी तरह अपनी सामूहिक शक्ति दिखाएंगे जिस तरह उन्होंने आपातकाल के दौरान दिखाई थी। पवार (83) ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। निदेशालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) के नेताओं ने आलोचना की। राकांपा (एसपी) के प्रमुख ने कहा, कांग्रेस के बैंक खातों पर रोक लगा दी गई है। खातों से लेन-देन पर रोक लगाए जाने से पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान के लिए वित्तीय प्रबंधन प्रभावित हुआ। यह दर्शाता है कि कांग्रेस को चुनाव प्रचार के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इतनी बड़ी कार्रवाई पहले कभी नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यों के कुछ प्रमुख नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय जैसी विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पवार ने कहा, उन्होंने (झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री) हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, जो आदिवासी वर्ग से हैं। अब (दिल्ली) शराब नीति से जुड़े एक मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमें उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई किए जाने की आशंका है। पवार ने कहा कि शराब नीति पर फैसला दिल्ली सरकार की राज्य कैबिनेट ने किया था और राज्य के लिए नीतियां बनाना उसका अधिकार है। उन्होंने कहा कि किसी नीति को लेकर एक मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार करना गलत है। पवार ने कहा, आज भाजपा इस हद तक चली गई है कि एक मुख्यमंत्री को सत्ता का दुरुपयोग करके गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह उम्मीद की जाती है कि चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष माहौल में होंगे लेकिन अब चिंता का माहौल है। पवार ने कहा, मैं केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की इंडिया गठबंधन के घटक के तौर पर निंदा करता हूं। हम केजरीवाल के पीछे मजबूती से खड़े रहेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या आप नेता के खिलाफ कार्रवाई का लोकसभा चुनाव में भाजपा पर उल्टा असर पड़ेगा, पवार ने कहा, शत प्रतिशत। उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वह तीन बार मुख्यमंत्री बने। उन्हें जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त है।

वकीलों की हड़ताल के कारण राहुल गांधी मामले की सुनवायी टली, अब दो को होगी

सुलतानपुर (उप्र), (भाषा)। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुलतानपुर की एमपी/एमएलए (सांसद/विधायक) अदालत में सुनवायी शुक्रवार को वकीलों की हड़ताल के कारण स्थगित कर दी गयी। इस मामले में सुनवाई अब दो अप्रैल को होगी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी पर शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध यहां एमपीएमएलए अदालत में शिकायत दर्ज करायी थी। वादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि राहुल गांधी से संबंधित मामले में आज सुनवायी होनी थी, लेकिन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वकीलों की हड़ताल के मद्देनजर सुनवायी नहीं हुई। अदालत इस मामले पर अब दो अप्रैल को सुनवायी करेगी। शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने मई 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में शाह के खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक टिप्पणी की थी। अदालत ने इस मामले में पिछले साल दिसम्बर में राहुल गांधी के खिलाफ वारंट भी जारी किया था।

विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है : वृंदा करात

नई दिल्ली, (वीअ)। भाजपा सरकार विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल कर रही है।

निर्वाचन आयोग ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के नए फॉर्म भरने से फिलहाल रोका

शिमला, (वीअ)। निर्वाचन आयोग ने भाजपा की एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को एक पत्र भेजकर आदर्श आचार संहिता लागू रहने तक इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत नये फॉर्म भरने पर रोक लगाने को कहा है। चार मार्च को घोषित यह योजना 18 से 59 आयु वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक सहायता उपलब्ध कराती है। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादे को पूरा करते हुए चार मार्च को इस योजना की घोषणा की थी और कहा था कि इस योजना पर वार्षिक 800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे पांच लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने 16 मार्च को कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण योजना के तहत नये लाभार्थियों को नहीं जोड़ा जा सकता है।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत वितरण मण्डल, भोलेपुर, फर्रुखाबाद
जनपद फर्रुखाबाद - 209601

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नलिखित मामलों की आपूर्ति / कार्य करने हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत नियम व शर्तें निविदा अभिलेखों में उल्लिखित हैं जो उ0प्र0 शासन के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://etender.up.nic.in एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 की वेबसाइट www.dvvnl.org पर उपलब्ध है। क्रम संख्या, निविदा संख्या सामग्री / कार्य का विवरण, निविदा खुलने का दिनांक, निविदा शुल्क, धरोहर धनराशि (रुपये में) क्रमानुसार। निविदा संख्या, कार्य का विवरण, धरोहर धनराशि, निविदा प्रपत्र शुल्क, खुलने का दिनांक:- 115/EDC(F)/2023-24 विद्युत वितरण खण्ड फर्रुखाबाद के क्षेत्र में अनमीटर्ड निजी नलकूपों पर एवं पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत निजी नलकूपों के नवीन संयोजनों पर थ्री फेस मीटर स्थापित करने का कार्य। (2000 नग थ्री फेस मीटर)। धरोहर धनराशि रू0 10000.00 एवं निविदा प्रपत्र शुल्क रू0 1180.00 (जी0एस0टी0 सहित) खुलने का दिनांक 28.03.2024 116/EDC(F)/2023-24 विद्युत वितरण खण्ड कायमगंज के क्षेत्र में अनमीटर्ड निजी नलकूपों पर एवं पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत निजी नलकूपों के नवीन संयोजनों पर थ्री फेस मीटर स्थापित करने का कार्य। (1000 नग थ्री फेस मीटर)। धरोहर धनराशि रू0 5000.00 एवं निविदा प्रपत्र शुल्क रू0 1180.00 (जी0एस0टी0 सहित) खुलने का दिनांक 28.03.2024

पत्र संख्या- 9412 / वि0वि0म0(फ0)
दिनांक- 21.03.2024
(अजय कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता

"सुनहरा भविष्य बनायें, राष्ट्रहित में बिजली बचायें"

Public Notice

[illegible]

Public Notice

... Ganesh Enclave, New Kamruddin Nagar, Delhi-110041. At present, Amit Jain and his wife are residing separately, and both the above persons i.e. Amit Jain & ... shall have no right upon any of her movable or immovable property owned by her in Delhi or elsewhere in India. That anybody dealing with her Son Amit Jain shall do so at his/her own cost and risk and my client shall not be held responsible in any manner.

Amit Sharma, Advocate, Chamber No. ..., Lawyers Chamber, 1st Floor, Tehsil Building, Tis Hazari Courts, Delhi-110054.

In The Court of
Sh. Naina Gupta, Administrative Civil Judge, Additional Rent Controller, Commercial Civil Judge, South-East, Room No. 203, Saket Court, New Delhi.

SS-22/2024

Muralisharan Srivathsa Through SPA Holder Sh. Rajendra Kumar Jain

Versus

1. State (Govt. of NCT of Delhi) (Through Sub Division Magistrate), SDM (Kalkaji) 36, Mehrauli-Badarpur Rd, New Delhi-110062.

...Respondents

Whereas, on application U/s 372 of the Indian Succession Act, 1925 has been made by **Muralidharan Srivathsa** successor of **Late Komala Varadan** for grant of Succession Certificate in respect of debts/securities of deceased.

And whereas the said applicant shall come for hearing on **27.03.2024 at 10.00 A.M.**

Therefore, the public at large is hereby given notice if any person has objection to the grant of succession certificate in favour of the said applicant he may appear and file objections in writing, in person or through duly appointed pleader, on the said date and time.

Given under my hand and seal on **03.02.2024.**

Seal Sd/-
Administrative Civil Judge, Additional Rent Controller, Commercial Civil Judge, South-East, Saket Court, New Delhi.

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि.

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना ... निविदा संख्या-94/2023-24/EUDC-1GZB ... 96/2023-24/EUDC-1GZB ... निविदा दिनांक 08.04.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक भरी जा सकती है ... https://etender.up.nic.in ... www.pvvnl.org पर देखा जा सकता है। राष्ट्रहित में बिजली बचायें ... अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद। पत्रांक 3550/22.03.2024

[illegible]

... निर्धारित की जाती है। इच्छुक बोलीदाता दिनांक 16.07.2024 को दोपहर 12.00 बजे तक ... (राशि रू. 21400/-) ... जन स्वा. अभि. विभाग खण्ड सरदारशहर ... अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। UBN No PHE2324WSOB14630, DIPR/C/2245/2024

(राजकुमार चाहिल)
अधिशाषी अभियंता (परियोजना)
DIPR/C/3288/2024 जन स्वा.अभि. विभाग, खण्ड सरदारशहर

उत्तर रेलवे

निविदा सूचना

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी उप मुख्य अभियंता निर्माण, सीएसडी-II, उत्तर रेलवे, भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए खुली ई-निविदा आमंत्रित करता है, निविदा समापन तिथि 16.04.2024 को 15.00 बजे। मूल / संशोधित निविदा की अंतिम तिथि एवं समय तक ही जमा कर सकेंगे। इस निविदा के विरुद्ध मैनुअल प्रस्तावों की अनुमति नहीं है और मनाकरार कर दिया जाएगा।

निविदा: (ई-निविदा एक पैकेट) (खुली निविदा)।
निविदा सूचना संख्या: 130-W-Dy.CE/C-II/CSB दिनांक 22.03.2024
कार्य: दिल्ली डिवीजन के चिपियाना (CYZ)-गाजियाबाद (GZB) सेक्शन में चौथी लाइन के संबंध में, चिपियाना (CYZ) गाजियाबाद (GZB) स्टेशन के बीच मिट्टी कटना, बंध भरना, ब्लैंकेटिंग, बड़े और छोटे पुलों का निर्माण सहित अन्य सभी संबद्ध प्रासंगिक कार्य।
अनुमानित लागत: रु. 4,82,03,947 (रु. चार करोड़ बयासी लाख तीन हजार नौ सौ सैंतालीस मात्र)।
सुरक्षा राशि: रु 3,81,000 (रु. तीन लाख इक्यासी हजार मात्र)।
पूर्णता अवधि: छह माह।
निविदा की उपलब्धता: निविदा आईआरईपीएस वेब साइट www.ireps.gov.in पर निविदाकर्ता द्वारा निविदा दस्तावेज आईआरईपीएस वेब साइट पर दिनांक 02/04/2024 से 16/04/2024 तक अपलोड किए जा सकते हैं।
निविदाएं अपलोड करने की तिथि: 22.03.2024.
निविदा समापन तिथि: 16.04.2024 को 15.00 बजे।
निविदा खोलने की तिथि एवं समय: 16.04.2024 को 15:30 बजे।

907/2024
यात्रियों की सेवा में मुस्कान के साथ

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-I, दिल्ली
चौथी तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

टी.ए. नं. 1478/2022
पंजाब नैशनल बैंक
विरुद्ध
संदीप पाठक एवं अन्य

सेवा में,
(1) संदीप पाठक एवं अन्य, टी-1 1202 सेक्टर-88, ... फरीदाबाद हरियाणा-121001, फरीदाबाद, हरियाणा-121001
(2) श्री ... पुत्र श्री ..., निवासी 488 सेक्टर 8 ... नई दिल्ली, दिल्ली-110022
(3) ... प्रा. लि., ... विहार नई दिल्ली दिल्ली-110096 और सी-10, ..., गाजियाबाद, यू.पी.- 201011 और ... गाजियाबाद, यू.पी.-201017

जबकि उपरोक्त आवेदक ने आपके विरुद्ध रुपये 40,67,186/- (रु. ...) की वसूली हेतु एक वाद स्थापित किया है ... अतः आपको दिनांक 15-07-2024 को पूर्वा. 10.30 बजे माननीय रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। (अधिक जानकारी के लिए कृपया डीआरटी की वेबसाइट www.drt.gov.in देखें) फोन: 011-23748473.

[illegible]

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 11 मार्च, 2024 को दिया गया।
न्यायाधिकरण के आदेशानुसार, सहायक रजिस्ट्रार
... फोन 011-23748473, ईमेल drt1delhi-dfs@nic.in

गुमशुदा की तलाश

स्वीटी

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम स्वीटी, पुत्री: वीरपाल, पता: खानपुर गांव, भूमिया मंदिर, नई दिल्ली जोकि दिनांक 13.03.2024 को सुबह करीब 10:00 बजे अपने घर से गुमशुदा है। इस सन्दर्भ में DD No. 112 A, dated 14.03.2024, पुलिस थाना, नेब सराय, नई दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज है। नीचे गुमशुदा लड़की की पहचान दी गई है

नाम: स्वीटी, उम्र: 18 वर्ष, कद: 5', रंग: गोरा, चेहरा: लंबा, शरीर: सामान्य, पहनावा: काले रंग का टॉप, काले रंग की जींस और पैरों में गुलाबी रंग के जूते।

अगर किसी को इस गुमशुदा लड़की के बारे में कोई जानकारी मिले कृपया पुलिस थाना नेब सराय नई दिल्ली को सूचित करने की कृपा करें।

वेबसाइट: http://cbi.nic.in, ई-मेल: cic@cbi.gov.in
फोन: 011-24368638 / 24368641, फैक्स: 011-24368639

थाना प्रभारी
पुलिस थाना नेब सराय, नई दिल्ली
DP/3209/SD/2024 फोन 011-29551597, 8750870839

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि मोहन सिंह, पुत्र स्वर्गीय श्री टेक चंद, निवासी मकान न. 5/15 नानक राम स्वर्ग आश्रम कॉलोनी परमानंद चौक किंग्सवे कैंप, दिल्ली ने Case CC No 1011/2016 U/s 138 NI Act, थाना मुखर्जी नगर, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त मोहन सिंह मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त मोहन सिंह फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है Case CC No 1011/2016 U/s 138 NI Act, थाना मुखर्जी नगर, दिल्ली के उक्त अभियुक्त मोहन सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 30.04.2024 को या इससे पूर्व हाजिर हो।

आदेशानुसार
निहारिका कुमार शर्मा
एमएम उत्तर
कमरा नं-117
DP/3383/N/W/2024 रोहिणी, न्यायालय, दिल्ली

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 · Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com · Website: www.iifl.com

सोने के गहनों की ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

[illegible]

स्थान: CENTRAL DELHI
दिनांक: 23.03.2024
Sd/-
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 · Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com · Website: www.iifl.com

सोने के गहनों की ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

[illegible]

स्थान: NORTH EAST DELHI
दिनांक: 23.03.2024
Sd/-
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड

इश्तहार मजरिया अदालत सिविल जज सीनियर डिवीजन मुकाम मेरठ
अज्ञानुसार श्री विनोद शर्मा, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) मेरठ न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन), मेरठ

विविध वाद सं. 52 सन् 2024

राजवीर सिंह, आयु-56 वर्ष, पुत्र स्व. श्री ब्रहमपाल सिंह, नि. 54/2, सैनिक कालोनी मेरठ। (मृतक का पुत्र) ...प्रार्थी / आवेदक

बनाम

1. श्री महावीर सिंह, आयु लगभग 52 वर्ष पुत्र स्व. श्री कुशपाल सिंह।
2. हरवीर सिंह, आयु लगभग 51 वर्ष पुत्र स्व. श्री ब्रहमपाल सिंह, 54/2 सैनिक कॉलोनी, कासमपुर, ठकर खेड़ा मेरठ।
3. श्रीमती कुसुमलता, आयु लगभग 56 वर्ष पत्नी श्री विक्रम सिंह, नि. ग्राम जौलीगढ़ पोस्ट बुलन्दशहर (मृतक की पुत्री)
4. श्रीमती राजकुमारी आयु लगभग 46 वर्ष, पत्नी श्री मनोज चौधरी, निवासी-ई-61, यूरोपियन स्टेट, बाईपास रोड, कंकरखेड़ा, मेरठ कैन्ट (मृतक की पुत्री)

...विपक्षी

दरख्वास्त मुसम्मा राजवीर सिंह वास्ते हुसूल सर्टिफिकेट वसूल जर कर्जा व किफालत हो दरख्वास्त मुसम्मा राजवीर सिंह मुतवफा ब्रहमपाल सिंह अपने बमूजिब एक्ट 7 सन् 1983 ई. बकदर 31,54,203.16 रुपये हरगाह मुसम्मा राजवीर सिंह ने दरख्वास्त वसूल सर्टिफिकेट गुजारनी है और तारीख 02 माह 04 सन् 24 वास्ते समाअत दरख्वास्त के मुकर्रर हुई है।

लिहाजा यह इश्तहार जारी किया जाता है कि जिस किसी को निस्बत दरख्वास्त उत्तराधिकारी के उज्र होगा असालतन या वकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत सिविल जज (सी.डि.) मुकाम मेरठ बतारीख 02.04.2024 मुकर्रर हाजिर होकर अपना उज्र पेश करे। दरसूरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उज्र किसी का सुना न जाये और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त मजकूर के सादिर होगा।

अलमरकूम 29 माह 02 सन् 2024 ई नियत तिथि
02.04.2024 / 08.04.2024

आदेशात
मुंसरिम
सिविल जज (सीनियर डिवीजन) मेरठ न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन), मेरठ

वैधानिक सूचना: पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया से पहले विज्ञापन में प्रकाशित किसी उत्पाद या सेवा के बारे में पूरी तरह उपयुक्त जांच-पड़ताल कर लें। यह समाचार पत्र उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता। समाचार पत्र उपरोक्त विज्ञापनों के बारे में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

पत्रांक.................. दिनांक..........................

टिप्पणी एवं आदेश

मुख्य अभियन्ता (वि0), गा0बाद क्षेत्र–प्रथम, गाजियाबाद।

महोदय,

कृपया सादर संज्ञान में लाना है कि विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–प्रथम, तृतीय, पंचम एवं नवम, गा0बाद के कार्यक्षेत्र में 33 केवी0 एवं 11 केवी0 केबिलों में होने वाले फाल्ट को फाल्ट डिटैक्टर द्वारा लोकेट कर उसे आवश्यकतानुसार मरम्मत आदि एवं विद्युत आपूर्ति को सुचारू करने हेतु 33 केवी0 के 70 एवं 11 केवी0 के 100 नग फाल्ट ठीक करने सम्बन्धी समस्त कार्य रनिंग ई–निविदा के माध्यम से स्पेशल **ओ0एण्डएम0 मद में बाहय एजेन्सी** के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त कार्य की **प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति** निगम मुख्यालय, मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं0 3893 दि0 15.03.2024 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा प्रदान की गयी। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य ई–निविदा के माध्यम से कराये जाने हेतु **अल्पकालीन ई–निविदा प्रकाशन** की अनुमति प्रदान करना चाहें। उपरोक्त कार्य कराये जाने में अनुमानित लागत **रू0 50.00 लाख (जी0एस0टी0 अतिरिक्त)** आने की सम्भावना है।

अल्पकालीन
ई-निविदा प्रकाशन
हेतु अनुमोदित
मुख्य अभियन्ता (वि0)
गाजियाबाद

([illegible])
अधीक्षण अभियन्ता
Superintending Engineer
Electricity Urban Distribution Circle-I
Ghaziabad

दूरभाष : 0121–2665734
फैक्स : 0121–2666062
सिन–U31200UP2003SGC027458

कार्यालय
प्रबन्ध निदेशक
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
ऊर्जा भवन, विक्टोरिया पार्क, मेरठ

पत्रांक प0वि0वि0नि0लि0/तक0/प्र.अनु.–5(नो)/(20) दिनांक: 15.03.2024

कार्यालय ज्ञाप

मुख्य अभियन्ता (वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र–प्रथम, गाजियाबाद के पत्रांक 434/मु0अ0गा0क्षे0/गा0बाद/सी0/अनु0/दिनांक 06.02.2024 द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम, गाजियाबाद के पत्रांक 2801/ वि0न0वि0मं0–प्रथम/गा0बाद/दिनांक 24.01.2024 द्वारा विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम, गाजियाबाद के अधीन समी खण्डों के कार्यक्षेत्र में 33 केवी एवं 11 केवी केबिलों मे होने वाले फाल्ट को फाल्ट डिटैक्टर द्वारा लोकेट कर उसे आवश्यकतानुसार मरम्मत आदि एवं विद्युत आपूर्ति को सुचारू करने हेतु 33 केवी के 70 एवं 11 केवी 110 नग फाल्ट ठीक करने सम्बन्धी समस्त कार्य रनिंग ई–निविदा द्वारा ओ0एण्ड0एम0 मद मे बाह्य एजेन्सी के माध्यम से कराये जाने हेतु धनराशि रू0 50.00 लाख एवं जी0एस0टी0 अतिरिक्त की प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति प्रबन्ध निदेशक महोदया, प0वि0वि0लि0, मेरठ द्वारा निम्नानुसार अधोलिखित शर्तों पर प्रदान की गयी है:–

1. उक्त कार्य हेतु धनराशि का प्राविधान वित्तीय वर्ष 2024–25 में **Special O&M** मद से किया जायेगा।
2. उक्त कार्य ई–निविदा के माध्यम से कराये जायेगें।
3. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के आदेश संख्या 10 कार्य/14/पा0का0लि0/2019–3के/ 2000 दिनांक 02.01.2019 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारो के अन्तर्गत उपरोक्त कार्य कराया जायेगा।
4. इस सम्बन्ध में निगम द्वारा समय–समय पर निर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
5. इस कार्य को रेस्पो द्वारा निर्धारित विशिष्टीकरण, मानकों एवं दरों के अनुरूप ही कराया जायेगा तथा कार्य का विश्लेषण करके कम से कम लागत मे कराया जायेगा।
6. दरों की औचित्यता सक्षम कार्य समिति द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
7. उक्त कार्य एवं दरों की जिम्मेदारी मुख्य अभियन्ता (वि0) की होगी।
8. उक्त कार्य हेतु कर्मचारियो/कार्मिको को अनिवार्य रूप से पहचान पत्र निर्गत किया जायेगा।
9. सभी कर्मचारियो/कार्मिको को सुरक्षा हेतु रिफ्लेक्टिव जैकेट उपलब्ध करायी जायेगी।
10. उक्त के सम्बन्ध मे कारपोरेशन/निगम के समस्त आदेशो का पालन किया जाना सुनिश्चित करे, तथा निविदा का निस्तारण निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि से 45 दिवस के अन्दर करना सुनिश्चित करे ।

/

(मनोज कुमार जैन)
अधीक्षण अभियन्ता (तक0)

पत्रांक : 3893 /प0वि0वि0नि0लि0/तक0/प्र.अनु.–5(नो)/(20) तद्दिनांक:
प्रतिलिपिः–
1. निदेशक (वित्त), प0वि0वि0नि0लि,0 मेरठ।
2. मुख्य अभियन्ता (वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र–द्वितीय, गाजियाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम, गाजियाबाद।

(मनोज कुमार जैन)
अधीक्षण अभियन्ता (तक0)

सीसीः– निदेशक (तक0) महोदय, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ को सादर अवलोकनार्थ।

Scanned with OKEN Scanner